मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2605
17.03.2025 को उत्तर के लिए

पशुओं का अवैध शिकार

2605. श्री बृजमोहन अग्रवाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या तथा उन अभयारण्यों में बाघों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश के वन क्षेत्रों में बाघ सहित कितने जानवरों की हत्या/अवैध शिकार किया गया है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान बाघ सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कोई धनराशि उपलब्ध कराई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के वन क्षेत्रों में बाघ सहित जानवरों के संरक्षण के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) देश में 58 बाघ अभयारण्य हैं। वर्ष 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसकी अनुमानित संख्या 3682 (रेंज 3167-3925) है, जबकि वर्ष 2018 में यह 2967 (रेंज 2603-3346) और वर्ष 2014 में 2226 (रेंज 1945-2491) थी। वर्ष 2014, 2018 और 2022 के दौरान देश में बाघ परिदृश्यों से संबंधित बाघ अनुमान का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) विगत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में बाघों के अवैध शिकार की घटनाओं/मारे गए बाघों की पुष्टि की गई संख्या का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**राज्य**	**बाघों के अवैध शिकार करने/बाघों के मारे जाने की पुष्टि की गई संख्या**
2022	मध्य प्रदेश	06

	आंध्र प्रदेश	02
	कर्नाटक	03
	ओडिशा	01
	महाराष्ट्र	02
2023	महाराष्ट्र	03
	केरल	01
	मध्य प्रदेश	08
	बिहार	02
	उत्तराखंड	01
	असम	03
	तमिलनाडु	02
	आंध्र प्रदेश	01
2024	केरल	01
	मध्य प्रदेश	02
2025	शून्य	

अन्य वन्यजीवों के संबंध में जानकारी भारत सरकार के स्तर पर संकलित नहीं की जाती है।

(ग) बाघ संरक्षण, बाघ और अन्य वन्यजीव संरक्षण, पर्यावास प्रबंधन, सुरक्षा, पारिस्थितिकी विकास, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास, स्वैच्छिक गांवों के पुनर्वास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बाघ रैंज वाले राज्यों को बाघ रिजर्व की संस्वीकृत वार्षिक प्रचालन योजना के अनुसार वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) की वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजना के बाघ परियोजना घटक के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई निधि का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से मानव-वन्यजीव के बीच अप्रिय घटनाओं के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तीन-आयामी कार्यनीति का समर्थन किया है:-

(i) सामग्री एवं संभार तंत्र संबंधी सहयोग : वर्तमान में संचालित केंद्रीय प्रायोजित स्कीम-बाघ परियोजना के माध्यम से स्रोत क्षेत्रों से बाहर आने वाले बाघों से निपटने हेतु बाघ रिजर्वों को अवसंरचना और सामग्री की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बाघ रिजर्वों द्वारा प्रति वर्ष वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38v के तहत अधिदेशित समावेशी बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के माध्यम से इस वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ, आमतौर पर अनुग्रह राशि और मुआवजे के भुगतान, मानव-पशु संघर्ष के संबंध में आम जनता को जागरूक बनाने, उनका मार्गदर्शन करने एवं उन्हें परामर्श

देने हेतु आवधिक जागरूकता अभियानों, विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से सूचना के प्रसार, स्थिरीकरण उपकरण एवं दवाइयों की खरीद, संघर्ष की घटनाओं से निपटने हेतु वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता की मांग की जाती है।

(ii) पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को सीमित करना : किसी बाघ रिजर्व में बाघों की वहन क्षमता के आधार पर, एक समावेशी बाघ संरक्षण योजना(टीसीपी) के माध्यम से पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को सीमित किया जाता है। बाघों की संख्या वहन क्षमता के स्तरों पर होने के मामले में यह सलाह दी जाती है कि पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को सीमित किया जाना चाहिए ताकि बाघों सहित अन्य वन्यजीवों का अधिक संख्या में पर्यावास से बहिर्गमन को रोका जा सके जिससे मानव-पशु संघर्ष में कमी लाई जा सके। इसके अलावा, बाघ रिजर्वों के आस-पास के बफर क्षेत्रों में पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को इस प्रकार सीमित किया जाता है कि वे प्रमुख/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास क्षेत्रों की तुलना में इष्टतम स्तर से कम हो और अन्य समृद्ध पर्यावास क्षेत्रों तक ही बाघों के आवागमन में सुविधा प्रदान करने हेतु उचित हो।

(iii) मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) : मानव-पशु संघर्ष से निपटने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने निम्नलिखित तीन एसओपी जारी की हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं :

i. मानव बहुल भू-क्षेत्रों में बाघों के भटक जाने के कारण उत्पन्न आपातकाल की स्थिति से निपटना

ii. बाघों द्वारा मवेशियों पर हमले की घटनाओं से निपटना

iii. स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के लिए भू-दृश्य स्तर पर सक्रिय प्रबंधन करना।

इन तीन मानक प्रचालन प्रक्रियाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, संघर्ष में कमी लाने हेतु पर्यावासों से बाहर आने वाले बाघों को प्रबंधित करने, मवेशियों के मारे जाने को प्रबंधित करने के साथ-साथ समृद्ध क्षेत्रों में संघर्ष रोकने हेतु बाघों को स्रोत क्षेत्रों से बाघों की कम संख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में विस्थापित करने संबंधी मुद्दे शामिल है।

इसके अलावा, बाघ संरक्षण योजनाओं के अनुसार, वन्यजीव पर्यावास की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आवश्यकता आधारित और स्थल-विशिष्ट प्रबंधन कार्यकलाप किए जाते हैं जिसके लिए विद्यमान केंद्रीय प्रायोजित स्कीम- वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के तहत निधि प्रदान की जाती है।

*****

अनुबंध-I

'पशुओं का अवैध शिकार' के संबंध दिनांक 17.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2605 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2014, 2018 और 2022 के लिए देश में बाघ परिदृश्य से संबंधित बाघ अनुमान का विवरण
(अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार)

राज्य	बाघों की संख्या		
	2014	**2018**	**2022**
शिवालिक-गंगा मैदान परिदृश्य परिसर			
उत्तराखंड	340	442	560
उत्तर प्रदेश	117	173	205
बिहार	28	31	54
शिवालिक गंगा	**485**	**646**	**819**
मध्य भारतीय भूदृश्य परिसर और पूर्वी घाट भूदृश्य परिसर			
आंध्र प्रदेश	68	48	63
तेलंगाना	-	26	21
छत्तीसगढ	46	19	17
मध्य प्रदेश	308	526	785
महाराष्ट्र	190	312	444
ओडिशा	28	28	20
राजस्थान	45	69	88
झारखंड	3	5	1
मध्य भारत	**688**	**1033**	**1439**
पश्चिमी घाट भू-दृश्य परिसर			
कर्नाटक	406	524	563
केरल	136	190	213
तमिलनाडु	229	264	306
गोवा	5	3	5
पश्चिमी घाट	**776**	**981**	**1087**
उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान			
असम	167	190	229
अरुणाचल प्रदेश	28	29	9
मिजोरम	3	0	0
नगालैंड	-	0	0
उत्तरी पश्चिम बंगाल	3	0	2
उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र	**201**	**219**	**236**
सुंदरबन	76	88	101
कुल	**2226**	**2967**	**3682**

अनुबंध-II

'पशुओं का अवैध शिकार' के संबंध दिनांक 17.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2605 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई निधि का विवरण (11.03.2025 तक)

क्रम सं.	**राज्य**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (बाघ एवं हाथी परियोजना सहित)**	**2024-25 (बाघ एवं हाथी परियोजना सहित)**
1	आंध्र प्रदेश	292.11	0.00	149.42	365.13
2	अरुणाचल प्रदेश	869.08	787.19	1119.91	1767.99
3	असम	1476.75	2559.78	2619.31	2043.60
4	बिहार	552.72	246.90	308.98	361.69
5	छत्तीसगढ	355.85	165.75	292.86	181.58
6	झारखंड	195.06	227.75	405.79	727.56
7	कर्नाटक	2956.70	1716.92	2613.08	2801.27
8	केरल	868.78	417.59	996.22	221.37
9	मध्य प्रदेश	3523.52	3956.88	4303.79	5910.50
10	महाराष्ट्र	2991.06	809.62	2614.45	3373.51
11	मिजोरम	374.13	78.75	144.00	247.92
12	ओडिशा	1056.86	946.82	1012.59	563.40
13	राजस्थान	841.05	529.78	968.30	579.48
14	तमिलनाडु	1576.22	501.35	2547.97	1450.53
15	तेलंगाना	543.26	0.00	323.31	291.68
16	उत्तराखंड	1463.71	741.13	1495.52	1207.53
17	उत्तर प्रदेश	1304.85	919.96	1031.98	1381.25
18	पश्चिम बंगाल	708.28	458.77	522.58	425.95
	कुल	**21949.99**	**15064.94**	**23470.06**	**23901.94**

*****